कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–ब/22803/SAT/2023/ **दिनांकः** 16.08.2023

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा **(समस्त)**।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा **(समस्त नवगठित जिले)**।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा **(समस्त)**।

विशय : **"राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान–2023"** हेतु नवीन जिलों के गठन के उपरान्त शिक्षक पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में।
प्रसंग : शासन का पत्रांकः प.18(2)शिक्षा–2/2023–08697 जयपुर, दिनांकः 07.08.2023
संदर्भ : शिविरा/माध्य/मा–ब/ 22803/SAT/2023 दिनांकः 08.08.2023

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना अनुसार 17 नये जिले गठित किए गए है। अर्थात् वर्तमान स्थिति में राज्य में 50 जिले विद्यमान है। अतः नवीनतम स्थिति के अनुसार 33 के स्थान पर 50 जिलों में जिला स्तरीय एवं प्रत्येक जिले से 03 शिक्षक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित होने के प्रावधान के अनुसार 99 के स्थान पर 150 शिक्षकों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना होगा। जिलों के गठन की नवीन स्थिति के कारण ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन की वर्तमान कार्ययोजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1- शिक्षकों से आवेदन ऑनलाईन भरवाए गए हैं तथा आवेदनों का परीक्षण व आंकलन विद्यालय/सीबीईओ कार्यालय/सीडीईओ कार्यालय/निदेशालय स्तर पर किया जाना है। अतः आवेदन पत्रों के परीक्षण, अग्रेषण व चयन का कार्य निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाए :–

- i. शिक्षकों के आवेदन, विद्यालय द्वारा सीबीईओ को अग्रेषण तक की कार्यवाही ऑनलाईन की जाए।
- ii. सीबीईओ कार्यालय से सीडीईओ कार्यालय/नवीन जिलों के जिशिअ (मु0), माध्यमिक कार्यालयों एवं निदेशालय को आवेदनों का अग्रेषण ऑफलाईन किया जाए।
- iii. सीबीईओ कार्यालयों से नवीन जिलों के जिशिअ(मु.)माशि कार्यालयों को आवेदन अग्रेषित किए जाने से पूर्व संबंधित शिक्षक की विभागीय जांच विचाराधीन होने/लंबित होने की स्थिति एवं वार्षिक कार्यमुल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कार्यालय/संबंधित जिशिअ कार्यालयों से प्राप्त कर ही प्रस्तुत करें।
- iv. सीबीईओ कार्यालय द्वारा सीडीईओ/जिशिअ(मु.)माशि कार्यालय को अग्रेषित किए जाने वाले आवेदनों की पत्रावली की एक प्रति ब्लॉक कार्यालय में भी रखी जावे।
- v. सीडीईओ कार्यालय/जिशिअ(मु.)माशि कार्यालय जो भी लागू हो, द्वारा निदेशालय को अग्रेषित किए जाने वाले आवेदनों की पत्रावली की एक प्रति सीडीईओ कार्यालय /जिशिअ(मुख्यालय) माध्यमिक में भी रखी जाए।
- vi. राज्य स्तर पर पुरस्कृत किए जाने हेतु चयनित शिक्षकों को छोड़कर, शेष आवेदनों पत्रों के आधार पर जिला स्तर पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा।
- vii. जिला स्तर पर पुरस्कृत किए जाने हेतु चयनित शिक्षकों को छोड़कर, शेष आवेदनों पत्रों के आधार पर ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा।

2- ब्लॉक गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है किन्तु कुछ ब्लॉक ऐसे भी है जिनमें से कुछ हिस्सा एक जिले में एवं कुछ हिस्सा अन्य जिले में सम्मिलित किया गया है। ऐसी स्थिति में ब्लॉक स्तर पर प्रावधानानुसार चुने जाने वाले शिक्षकों के आवेदन पत्र उनके विद्यालय की स्थिति के अनुसार संबंधित जिले के सीडीईओ व नवगठित जिलों के लिए जिशिअ (मु.) माध्यमिक को आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाऐंगे।

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.16 2[illegible]:12:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4531019

3- **बिन्दु संख्या–02 के अनुसार** संबंधित जिले के सीडीईओ/जिशिअ (मु.), माध्यमिक द्वारा प्रावधानानुसार चुने गए श्रेष्ठ शिक्षकों के आवेदन पत्र निदेशालय को अग्रेषित किए जावे।

4- नवगठित जिलों में अब तक सीडीईओ कार्यालयों का गठन नहीं किया गया है किन्तु उनमें शिक्षा विभाग के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक कार्यालय स्थापना की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। अतः जिला स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षकों के चयन एवं राज्य स्तर के लिए नाम प्रस्तावित करने हेतु इन जिलों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाए :–

क्र.सं.	पदनाम	समिति में पदनाम
1	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक	अध्यक्ष
2	नवगठित जिले के दो उमावि के प्राचार्य	सदस्य
3	सम्बन्धित नवगठित जिले में राष्ट्र स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त शिक्षक	सदस्य
4	जिला नोडल अधिकारी कार्यालय का सहायक निदेशक/एसीबीईओ स्तर का अधिकारी	सदस्य सचिव

शेष शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री , राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री , राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
11. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर ।
12. सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

उपनिदेशक (माध्यमिक)

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.16 21:12:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4531019